

SHRI DRUPAD BOROGOHAIN: Sir, there are so many sentimental problems in Assam. These problems relate to tribals and ethnic groups. Most of the problems there are sentimental problems. That is a fact. The Central Government should try to solve these problems and deal with these problems properly. I would like to make a suggestion to the hon. Minister and then put my question. Assam has a large number of tribal ethnic groups. These groups are Bodo, Rabha, Tiwa, Miching, Devri, Kachari, i.e. Thengal, Sonowal, Karbi, Dimacha, Kacharis. These are the main tribal groups. Several of these ethnic groups have their own languages which need to be developed. These group have their own languages and culture. To develop their languages and culture and to impart higher education through their mothertongue, the Tejpur Central University can be utilised fully. The Assam Central University can also be utilised for this purpose. I am in favour of a Central University at Kokarjhar. There are two other universities which can be utilised for the development of the culture, languages and other things of the tribal groups. I would like to know from the hon. Minister whether they have got such a proposal. I would also like to know whether your Ministry will think over it and try to solve these problems.

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, अगर कोई भी विश्वविद्यालय अपने परिक्षेत्र में किसी भाषा के विकास के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाता है, कोई स्कीम बनाता है, कोई कोर्स चलाता है तो वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं, वे राज्य सरकार की मदद से इस काम को कर सकते हैं। अगर कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय ऐसा पाठ्यक्रम चलाना चाहता है तो UGC की मदद से, उसकी अनुमति से वह उस पाठ्यक्रम को चला सकता है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केन्द्र सरकार स्वयं इस तरह का कोई पाठ्यक्रम नहीं चलाती है लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र की भाषाओं के विकास के लिए कोई विश्वविद्यालय कोई प्रगतिशील योजना लेकर आता है तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

MR. CHAIRMAN: The question is on Bodoland. Many Members have spoken on it. Now, we go to the next question—Question No. 743.

Grants of NGOs

*743. Dr. ALLADI P. RAJKUMAR:†

SHRI YADLAPATI VENKAT RAO:

Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Alladi P. Rajkumar.

[17 May, 2002]

RAJYA SABHA

(a) what are the items for which grants are given by the Ministry to NGOs;

(b) whether a number of NGO proposals, received from Srikakulam District in Andhra Pradesh, during the last two years are pending;

(c) if so, the reasons for their pendency;

(d) the reasons for rejection/delay in clearing of the proposals; and

(e) the steps proposed to be taken to expedite clearance of their proposals?

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SUSHREE UMA BHARTI): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Grants are given by this Ministry to NGOs for the following items:—

- (i) Under the Scheme of Financial Assistance to Voluntary Organisations working in the field of youth, grants are provided for conducting Vocational Training Programmes to promote self employment and Youth Leadership Training Programmes to promote emergence of cadres of young dynamic persons who would act as catalysts of social change in the rural areas.
- (ii) Under the Scheme of Training of Youth, Central assistance is extended for conducting Vocational Training Programmes based on local needs and talents for promoting self-employment and better employment.
- (iii) Under the Special Scheme for Promotion of Youth Activities among the Youth of Backward Tribes, Grants are given for conducting Vocational Training Programmes, Youth Leadership Training Programmes, National Integration Programmes, Inter-State Youth Exchange Programmes, Exhibitions and Programmes on General Awareness for Tribal Youth.
- (iv) Under the Scheme of Exhibitions for Youth, Central assistance is provided for organising exhibitions for youth to provide an outlet to the youth to display their skills and creativity in various fields.

- (v) Under the Scheme of Promotion of National Integration, Central Assistance is given for conducting National Integration Camps and Inter-State Youth Exchange programmes.
- (vi) Under the Scheme of Promotion of Adventure, Central Assistance is provided for promotion of adventure activities.
- (vii) Central assistance is provided for construction of playgrounds, indoor/outdoor stadiums, swimming pools, water sports infrastructure, shooting range, skating rink, velodromes, sports hostel and installation of synthetic surfaces for athletic track/hockey surface, in accordance with the approved pattern, subject to the receipt of viable proposals.
- (viii) Under the Scheme of Assistance to National Sports Federations, Central assistance is provided to the concerned National Sports Federations (NSFs) who are recognized by the Government and primarily responsible for promotion of the said disciplines, for conducting National Championships and International Tournaments in India, Organising coaching camps, procuring sports equipments, participation in international tournament abroad and for disbursement of salaries of Joint/Assistant Secretaries of the Federations and of foreign coaches.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) and (e) Viable proposals are considered on merit by the Departmental Grants-in-Aid Committee.

डा० अलादी पी० राजकुमार: सभापति महोदय, मेरे साथी ने जो पहला सवाल पूछा था, उसके उत्तर से मुझे यह लग रहा है कि मंत्री महोदय खेल मंत्री की जगह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मंत्री बनें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह मेरा analysis है क्योंकि वे खेलों के बारे में सरकार की नीति निर्धारित करती हैं और अगर उन्हीं को पावर्स नहीं हैं, तो यह विचारणीय बात है।

Sir, the Government of Andhra Pradesh under the able guidance and smart governance of our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, is developing in many fields. In the last four years, we have developed in information technology, tourism, health hubs sports centres, etc. Because

[17 May, 2002]

RAJYA SABHA

of this reason, out of the ten medals which our country had won, six medals had been won by the players who hail from Andhra Pradesh. For example, Malleshwari, Pullala Gopichand, Harikrishna Koneru Hampi, etc. have won medals and brought laurels to the country. The Government of Andhra Pradesh has increased the budget for sports from Rs. 4 crores to Rs. 34 crores. मैडम आप ध्यान में रखना, 34 करोड़ इनक्रीज किया है। Not only this, our Chief Minister is giving all sorts of encouragement to these sportspersons. In fact, Karnam Malleshwari has been given a plot of land in the heart of Hyderabad...

MR. CHAIRMAN: You put your supplementary.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: The State Government has given Rs. 25 lakhs to Karnam Malleshwari.....

MR. CHAIRMAN: You put your supplementary.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Yes, Sir. Karnam Malleshwari belongs to Srikakulam district, which is a remote and a backward district in Andhra Pradesh; she has won bronze medal.

There were some proposals from various Youth Associations and the NGOs. Nearly thirty Organisations have submitted their proposals. I have got the list and I will hand it over to the hon. Minister. Since 2001, not a single penny has been given to these Associations. If this be the case, how can we expect sportspersons to come up? I want a categorical response from the hon. Minister. Sir, I will hand over the list of these 31 organisations, which have sought financial assistance from the Government, to the hon. Minister.

सुश्री उमा भारती: सर, सबसे पहले तो जो माननीय सदस्य ने बात कही है, उसमें कहीं भी असहमति की बात नहीं है। मैंने स्वयं कहा है कि आन्ध्र प्रदेश ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। सर, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जितने खिलाड़ियों के नाम लिए हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, गोपी चन्द या हरिकृष्ण इत्यादि के, उन सारे खिलाड़ियों ने एक्सलेंस प्राप्त किया है, उसमें केन्द्र सरकार के खेल विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उस योगदान को माननीय सदस्य ने ऑन रिकार्ड एक्सेप्ट किया है। हमारे पटियाला और बंगलौर के सेंटर्स में उनको कोचिंग और ट्रेनिंग हुई है और उनको हमने हर तरह की

असिसटेंट्स दी है तथा वे हमारे सहयोग से ही इस स्थिति में पहुंचे हैं। वे और बेहतर हो सकें, इसमें भी हम कसर नहीं छोड़ते हैं।

सर, माननीय सदस्य ने जो सवाल किए हैं, जिनका जवाब हमने यहां पर रखा है और उन्होंने जो लिस्ट दी है, वह लिस्ट और जो सवाल उन्होंने सदन के सामने रखे हैं, वे इस प्रकार से हैं। हमारे मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को किन-किन मदों के लिए अनुदान दिया जाता है? क्या गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले से प्राप्त अनेक गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्ताव लंबित हैं, उनके लंबित होने के क्या कारण हैं और इन प्रस्तावों को अस्वीकार किए जाने/स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण हैं?

सर, उन्होंने जो लिस्ट दी है, वह मुझे लगता है कि जो प्रस्ताव गैर-सरकारी संगठनों ने भेजे हैं, उनकी हैं। लेकिन यहां जो इन्होंने सवाल किया है, उनमें से कई प्रस्ताव तो ऐसे थे जो हमारे यहां तक पहुंचे ही नहीं, वह बहुत नीचे ही स्टेज पर ही अस्वीकृत होकर चले गये। जो प्रस्ताव हमारे यहां पर आये हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे और आप अनुमति देंगे तो मैं उन प्रस्तावों को पढ़ देती हूं। उन प्रस्तावों की जब हमने स्कूटनी की तो किस वजह से वे अंत में बिना अनुमोदन के हमें लौटाने पड़े, उनके क्या कारण हैं, उनके स्पेसिफिक रीजन्स मेरे पास मौजूद हैं। सर, श्रीकाकुलम से कुल छह प्रस्ताव आए। वर्ष 2001 में दो प्रस्ताव आये, वर्ष 2001 और 2002 के बीच में चार प्रस्ताव आये। इसी तरह से पिछले 2000 और 2001 के दो प्रस्ताव थे और 2001 और 2002 के चार प्रस्ताव थे। कुल मिलाकर छह प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। जो छह प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, उन प्रस्तावों की क्या स्थिति बनी है, उन सभी का ब्यौरा मेरे पास मौजूद है। मैं पहले वर्ष 2000-2001 के प्रस्ताव के बारे में बताती हूं। एक प्रस्ताव टेलरिंग और कटिंग का था, उन्हें एक सेंटर कटिंग और टेलरिंग का खेलना होगा, वह प्रस्ताव निरस्त हो गया है क्योंकि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजा था वह पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद रिकमेंडेशन आफीसर का सर्टिफिकेट उसमें नहीं लगाया गया था, इसलिए उस प्रस्ताव का अनुमोदन हम नहीं कर सके। दूसरा, प्रस्ताव भी टेलरिंग और कटिंग का आया था, वह प्रस्ताव भी निरस्त हो गया क्योंकि तीन वर्ष की एनुअल रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने केवल एक वर्ष की एनुअल रिपोर्ट भेजी थी। जब हम किसी भी एनजीओज को अनुमोदन देते हैं तो उसके लिए तीन वर्ष की एनुअल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। तीन वर्ष की जगह पर एक वर्ष की प्राप्त हुई। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो हम पढ़ ही नहीं सके, क्योंकि वह बहुत धुंधला था किन्तु मुख्य कारण यह था कि तीन वर्ष की एनुअल रिपोर्ट की जगह एक वर्ष की भेजी गयी इसलिए वह निरस्त हो गया। जो प्रस्ताव 2001 और 2002 के बीच में प्राप्त हुए, वह मैं आपको बता देती हूं। एक प्रस्ताव कम्प्यूटर ट्रेनिंग का प्राप्त हुआ। वह जनवरी 2001 को हमें प्राप्त हुआ और 2.4.2002 को वह निरस्त हुआ। निरस्त होने के कारण यह थे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, संस्था के पास कम्प्यूटर ही नहीं है। हमारे यहां पर योजना में कम्प्यूटर

[17 May, 2002]

RAJYA SABHA

खरीदने के लिए पैसा देने का कोई प्रावधान नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमें मिलना चाहिए, वह उसके साथ संलग्न नहीं था। एक प्रस्ताव नवम्बर 2002 को प्राप्त हुआ और 21.2.2002 को निरस्त हुआ। वह टेलरिंग और निटिंग का प्रस्ताव था जिसमें इक्विपमेंट क्रय करने के लिए सहायता मांगी गयी थी। योजना में इस ट्रेनिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इक्विपमेंट की खरीद के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: He has given you the list. You cansent the reply to him. But if you start reading the whole thing, it will unnecessarily become....(interruptions)

सुश्री उमा भारती: महोदय, मुझे तो पूरा पढ़कर सुनाना पड़ेगा। महोदय, वह जो लिस्ट उन्होंने दी है, उस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो वह होते हैं जो प्रस्तावों की लिस्ट होती है और एक वह होते हैं जो हम तक पहुंच पाते हैं। राज्य सरकार हमारे पास भेजती है। हम तक जो प्रस्ताव पहुंचे हैं, वह ये 6 पहुंचे हैं। इनकी जो लिस्ट है, वह तो इससे भी बड़ी हो सकती है क्योंकि ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचते हैं, फिर स्टेट लेवल पर और फिर स्टेट से हमारे यहां पर आते हैं। इनमें से कई स्टेजिज़ ऐसे आते हैं कि अधिकतर नीचे से ही निरस्त हो जाते हैं। जो हम तक, ऊपरी स्टेज तक पहुंचते हैं, वे मेरे पास सिर्फ 6 प्रस्ताव आए हैं और 6 के 6 निरस्त हुए हैं, उसी का विवरण मैं क्रमशः सुनाती जा रही थी और अगर आप कहें तो मैं ये पूरा का पूरा विवरण उनको लिखकर भेज सकती हूँ और इस संबंध में मैं आपकी अनुमति चाहती हूँ।

श्री सभापति: आप लिखकर भेज दीजिए।

डा० अलादी पी० राजकुमार: मुझे मालूम नहीं है पर जैसा मैडम ने बताया कि 6 प्रस्ताव आए। श्रीकाकुलंम से मैंने लिस्ट मंगायी है।

There are 30 NGOs which have asked for assistance for their youth training programmes, for promotion of national, etc. इन सबके लिए प्रस्ताव भेजा है। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि उस पूरे पत्र को देखकर इस संबंध में जो भी आप कर सकें, उन लोगों को फाइनैशियल असिस्टेंस देकर उन आरगेनाइजेसन्स को जल्दी से जल्दी पैसे भेजने का कोई विचार है या नहीं?

सुश्री उमा भारती: महोदय, माननीय सदस्य ने जो पत्र दिया है, मैंने आपको फिर कहा कि वह डिस्ट्रिक्ट लेवल का दे रहे हैं, जिन आरगेनाइजेशंस ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रोच की हुई है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल तक कितने निरस्त हो गये, स्टेट से सेंटर पर आते-आते कितने निरस्त हो गये, माननीय सदस्य को वह भी देखना होगा। हमारे यहां पर 6 प्रस्ताव पहुंचे हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निरस्त हुआ होगा, कोई स्टेट लेवल पर निरस्त हुआ होगा। वे 6 के 6 भी निरस्त

हो गये, अव्यावहारिक हो गये क्योंकि कोई न कोई कमी उनमें रह गयी थी इसलिए मैं उल्टा माननीय सदस्य को कहूँगी कि वह लिस्ट मुझे दे दें किन्तु वह लिस्ट मेरे लिए बिल्कुल उपयोग की नहीं होगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की जो अप्रोच इनकी है, उसमें मैं क्या रिमार्क कर सकती हूँ। मैं तो केवल उसी प्रपोज़ल के ऊपर अपनी कोई टिप्पणी कर सकती हूँ जो प्रपोज़ल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर मेरा अपना विभाग—इन तीनों श्रेणियों को पार करके मेरे सामने पहुंचेगा—मैं उस प्रपोज़ल पर कोई टिप्पणी कर सकती हूँ। वैसे अगर मुझे वह लिस्ट देंगे तो मैं सम्मान के साथ उसे स्वीकार तो कर लूँगी पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रपोज़ल को ओ० के० करना उस पर टिप्पणी करना राज्य सरकार का काम है, यह मेरा काम नहीं है। राज्य सरकार उन प्रस्तावों को देखकर जब मेरे पास भेजती है और मेरे नीचे से अधिकारी से, सैक्शन ऑफिसर से लेकर सैक्रेटरी तक पूरा पार करते हुए जो मेरे पास पहुंचे, वह केवल 6 आए और 6 के 6 निरस्त हो गये। मैं उल्टा माननीय सदस्य को वे 6 प्रस्ताव दूँगी ताकि वे उनको ठीक से कम्पलीट करवाएं। जो नियम हैं, उनके मुताबिक उनको कम्पलीट करवाएं और उसके बाद वे हमारे पास 6 क्या, 60 भी भेज दें। हम उनका निश्चित रूप से अनुमोदन करेंगे। हम आंध्र प्रदेश तो क्या, देश के हर राज्य का हर प्रकार से बिना किसी भेदभाव से सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन हम भी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, वह भी मर्यादाओं से बंधे हैं। उन बंधी हुई मर्यादाओं के अंतर्गत वे हमें अप्रोच करेंगे तो हम उन्हें रिसपांस दे पाएंगे।

श्री खान गुफरान जाहिदी: आप उन्हें अपने कमरे में बुला लीजिए और जो उन्हें कहनी है, कह दीजिए। सारी बातें सदन में फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से काफी समय आपने ले लिया है।

सुश्री उमा भारती: महोदय, जो सवाल पूछे जाएंगे, उनका उत्तर तो मुझे देना ही पड़ेगा। जैसा सवाल होगा, वैसा ही तो उत्तर मैं दूँगी।

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, since we are nearing the end of the Question Hour, I will be very crisp. Is there any machinery through which the hon. Minister and the Ministry are monitoring such grants?

SUSHREE UMA BHARTI: The machinery is our rules. रूल्स से बड़ी मशीनरी और क्या होगी? जो रूल बने हुए हैं, किसी भी एन०जी०ओ० को असिस्टेंस देने के लिए, वह रूल ई०ए०ई० के जरिए बनते हैं, वह रूल बनने में प्लानिंग कमीशन

SHRI DINESH TRIVEDI: After giving the grants..... (*Interruptions*).... I don't think she has understood.

SUSHREE UMA BHARTI: I have understood. I understand English also. But I am proud of my language. That is why I don't want to speak in English.

[17 May, 2002]

RAJYA SABHA

सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मॉनीटरिंग का सिस्टम हमारे यहां पर है। हम समीक्षा करते हैं, राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगते हैं, on the spot इंस्पेक्शन करते हैं और उसमें अगर कोई गलती पाई जाती है तो हम उस एन०जी०ओ को दी जाने वाली ग्रांट निरस्त कर देते हैं और राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए भी लिख देते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Status of schemes under OBB and Education for All

*744. PROF. M. SANKARALINGAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details and the status of 'Operation Black Board' and 'Education for All' schemes under the Ministry;

(b) the aims and objectives of these schemes under implementation by the Ministry; and

(c) whether Government have achieved the desired goals?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) The Scheme of Operation Black-board launched in 1987-1988 to improve facilities in primary schools of the country, provide for at least 2 reasonably large classrooms, at least 2 teachers and essential teaching learning material for every primary school existing on 30th September, 1986. In 1993, the scope of Operation Blackboard was expanded to provide three teachers and three rooms to primary schools wherever enrolment exceeds 100. The scheme was also extended to cover upper primary schools for Teaching Learning Equipment (TLE) and to provide an additional teacher. Under the Scheme funds have been provided to States for procurement of teaching and learning equipment to 522,902 primary schools and 138,009 upper primary schools. In all, 149,146 posts of additional teachers for converting single teacher primary schools into dual teacher school, 77,610 posts of additional teachers for upper primary schools and 83,045 posts of third teacher to primary schools with enrolment exceeding 100 children were sanctioned and also funds towards salary payment for all the new posts created were provided to the States. Provision for construction of school building was made under the